–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–142/2019

उनवान

भंवरलाल पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी नसीराबाद
——वादी :–जरियें अधिवक्ता श्री कमलेश गुर्जर

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. मेनेजर बैंक आफॅ बडौदा शाखा नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :–1 जरियें राज. पैरोकार, 2 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 11.7.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धोलादांता देराठू के खाता संख्या 111/103 किता 10 रकबा 1.87 वादी की खातेदारी की हैं। उक्त आराजी पर वादी का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से भंवरलाल पुत्र रामेश्वर के स्थान पर भंवरलाल पुत्र रमेशचन्द दर्ज कर दिया गया। अतः अराजी मुतनाजा पर वादी का सही नाम भंवरलाल पुत्र रामेश्वर अंकित किया जावे।

राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आधार कार्ड में वादी के पिता का नाम रामेश्वर ही हैं वादग्रस्त भूमि खातेदारी होने से राजहित प्रभावित नही होता है। वादी के पिता का नाम रामेश्वर दर्ज किया जाना उचित है।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में राजस्व अभिलेख व प्रार्थी के पहचान दस्तावेज व बैंक का प्रमाण पत्र पेश किये। व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम धोलादांता देराठू के खाता संख्या 111/103 किता 10 रकबा 1.87 वादी की खातेदारी की हैं। उक्त आराजी पर वादी का नाम भंवरलाल पुत्र रमेशचन्द अंकित है। वादी अपना नाम भंवरलाल पुत्र रमेशचन्द के स्थान पर भंवरलाल पुत्र रामेश्वर अंकित करना चाहता है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड में वादी के पिता का नाम रामेश्वर ही अंकित है। बैंक द्वारा भी वादी के पिता का नाम दुरूस्त करने में कोई आपत्ति नही की है। ग्राम धोलादांता के खाता संख्या 160/147 में वादी के पिता का नाम रामेश्वर पुत्र प्रभु ही अंकित है। वादी के पिता द्वारा हाजा न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 48/2013 रामेश्वर बनाम राज.0 सरकार में अधिवक्ता... वादी के पिता का नाम रमेश पुत्र प्रभु के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:09 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

स्थान पर रामेश्वर पुत्र प्रभु अंकित करने के आदेश पारित किये है। प्रकरण में राज पैरोकार ने भी वादी के पिता का नाम रामेश्वर दर्ज करने की सहमती दी है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के खाता संख्या 111/103 किता 10 रकबा 1.87 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम भंवरलाल पुत्र रामेश्वर अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:09 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्राई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भंवरलाल बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 142/2019
पेश करने की दिनांक – 05.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक कमलेश गुर्जर मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम धोलादांता देराठू के खाता संख्या 111/103 किता 10 रकबा 1.87 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम भंवरलाल पुत्र रामेश्वर अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11 माह 7 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:09 IST
Reason: SelfAttested